फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर मुकाम अलवर

हनीफ बनाम गनी वगै.

किस्म मुकदमा दावा 89, 188 रा०का०अधि०.........................नं० 1/ /2023 सन् ......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.01.2023	वकील वादी ने मूल वाद पेश किया। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब हो। दिनांक 08.02.2023 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अलवर	
08.2.23	पत्रावली पेश। वकील वादी एवं प्रतिवादी की ओर से बाहमी राजीनामा पेश किया गया। वादी की ओर से अधिवक्ता गणपत सिंह एवं प्रति० सं० 1 लगा 7 की ओर से रमेश मीणा द्वारा पहचान की गई। राजीनामा तस्दीक किया जाता है। आ० प० हो। पत्रावली दि० 11/2/23 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अलवर (राज०)	हनीफ [thumb impression] गनी खां [thumb impression] [illegible]

वादी [illegible] [illegible] एड
[illegible]
अभिभाषक आबिद

d/officework/reader/tyrt

Scanned with OKEN Scanner

11/2/25 पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री करवाये जाने हेतु सहमत है। अतः वाद वादीगण व प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री स्वीकार किया जाता है। डिक्री पृथक से लिखवाया जावे। तहसीलदार अलवर को मुहतमम जारी हो।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
अलवर (राज०)

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
अलवर (राज०)

न्यायिक अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर
राष्ट्रीय लोक अदालत

दावा संख्या	दायर दिनांक	तारीख निर्णय
1/23	07.02.2023	11.02.2023

बउनवान

1. हनीफ पुत्र सुबराती जाति फकीर निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर।

—वादी

बनाम

1. गनी पुत्र सुबराती जाति फकीर।
2. अरसद पुत्र सबीर खॉ जाति फकीर।
3. असपाक पुत्र सबीर खॉ जाति फकीर।
4. आबिद पुत्र सबीर खॉ जाति फकीर।
5. चांदबी पत्नी सबीर खॉ जाति फकीर।
6. जफरूदीन पुत्र सबीर खॉ जाति फकीर।
7. फकरूदीन पुत्र सबीर खॉ जाति फकीर निवासीयान ग्राम केसरुपर तहसील अलवर।
8. तहसीलदार अलवर कम लैण्ड होल्डर अलवर तहसील व जिला अलवर।

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 89,
188 राज.काश्त.अधिनियम, 1955

निर्णय दि. 11.02.2023

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। वकील वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 89, 188 राज.काश्त.अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगा. 7 के पिता व पति सबीर खॉ द्वारा आराजी खसरा नम्बर साबिक 40/1 रकबा 13 बिस्वा एवं 42/2 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का 1/2 हिस्सा को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दि. 19.11.1998 के द्वारा आराजी के पूर्व खातेदार समसू, गफूर पुत्रान टुण्डल मेव निवासी केसरपुर तहसील अलवर से तथा आराजी खसरा नम्बर 40/1 रकबा 13 बिस्वा एवं 40/2 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा के शेष का 1/2 हिस्सा को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 22.04.1988 के द्वारा आराजी के पूर्व खातेदार सोनी पत्नी दल्ला मेव, महकी पत्नी चीहटा मेव पुत्रियान भूरे खां मेव निवासियान केसरपुर तहसील अलवर से खरीद किया गया और इस प्रकार आराजी का सम्पूर्ण रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 2 लगा. 7 के पिता व पति द्वारा समभाग 1/3–1/3–1/3 हिस्सा में खरीद किया गया। बाद खरीद आराजीयात

Scanned with OKEN Scanner

(3)

विवादित का इन्तकाल संख्या 262 एवं इन्तकाल संख्या 31 स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी दोनों इन्तकालों का अमल किया गया और राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सभी क्रेतागण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 2 लगा. 7 के पिता व पति का समभाग 1/3–1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 40/1 व 40/2 का हाल खसरा नम्बर 89 रकबा 0.16 हैक्टेयर व 90 रकबा 0.14 हैक्टेयर कायम किये गए। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा. 7 के पिता व पति द्वारा खरीद की गई आराजी के राजस्व रिकार्ड में समभाग आराजी का हिस्सा दर्ज किया गया और बदस्तूर मुताबिक हिस्सा समभाग राजस्व रिकार्ड में अमल चला आ रहा था। विवादित आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा और प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा. 7 का 1/3 हिस्सा में से 1/6 हिस्सा निहित है। वादी द्वारा अपनी निजी कार्यो के लिए विवादित आराजीयात की जमाबन्दी प्राप्त की तो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा और प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा. 7 का 1/3 हिस्सा में से प्रत्येक का 1/6 हिस्सा के स्थान पर वादी का 1/6, प्रतिवादी संख्या 1 का 5/12 हि. तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगा. 7 का 5/72 हिस्सा दर्ज किया हुआ है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण ने दिनांक 08.02.2023 को राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा हमारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने की कृपा करे एवं विवादित आराजी में वादी हनीफ खॉ का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 लगा. 7 का 1/3 हिस्सा में से प्रत्येक का 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। एवं इस प्रकार पक्षकारान प्रकरण को निस्तारित करवाना चाहते है तथा राजीनामा पक्षकारान को न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया। राजीनामा सुनकर उपस्थित पक्षकारान ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् राजीनामा तस्दीक किया गया। उपस्थित पक्षकारान ने मुताबिक राजीनामा वाद को डिकी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात बयनामा दिनांक 06.06.97 एवं इन्तकाल संख्या 31 दिनांक 22.02.99 एवं बयनामा दिनांक 22.04.88 व इन्तकाल संख्या 262 दि. 15.06.88 एवं मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2051–2070 एवं हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2071–74 जिसका हाल खाता संख्या 68 है। एवं जमाबन्दी संवत 2045–2048 का अवलोकन किया। एवं राजीनामा पर मनन किया। हम वादी द्वारा पेश कर्दा वाद को डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः वाद वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा. 7 को आराजी खसरा नम्बर 89 रकबा 0.16 व 90 रकबा 0.14 हैक्टेयर वाकेग्राम केसरपुर तहसील अलवर को वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार वादी का हनीफ पुत्र सुबराती का उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 का गनी पुत्र सुबराती का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा. 7 का 1/3 हिस्से में से प्रत्येक का 1/6–1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तहसीलदार अलवर को अहकाम जारी हो।

सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत | सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत अलवर (राज०) | न्यायिक अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

4

डिक्री व मुकदमा इतबदाई
आ0 2 रू0 6–7 जाब्ता दीवानी
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर, (राजस्थान)
बेइजलास राष्ट्रीय लोक अदालत

दावा संख्या	दायर दिनांक	तारीख निर्णय
1/23	07.02.2023	11.02.2023

बउनवान

1. हनीफ पुत्र सुबराती जाति फकीर निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर।

——वादी

बनाम

1. गनी पुत्र सुबराती जाति फकीर।
2. अरसद पुत्र सबीर खॉ जाति फकीर।
3. असपाक पुत्र सबीर खॉ जाति फकीर।
4. आबिद पुत्र सबीर खॉ जाति फकीर।
5. चांदबी पत्नी सबीर खॉ जाति फकीर।
6. जफरूदीन पुत्र सबीर खॉ जाति फकीर।
7. फकरूदीन पुत्र सबीर खॉ जाति फकीर निवासीयान ग्राम केसरुपर तहसील अलवर।
8. तहसीलदार अलवर कम लैण्ड होल्डर अलवर तहसील व जिला अलवर।

——प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 89,
188 राज.काश्त.अधिनियम, 1955

निर्णय दि. 11.02.2023

वाद वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा. 7 को आराजी खसरा नम्बर 89 रकबा 0.16 व 90 रकबा 0.14 हैक्टेयर वाकेग्राम केसरपुर तहसील अलवर को वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार वादी का हनीफ पुत्र सुबराती का उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 का गनी पुत्र सुबराती का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा. 7 का 1/3 हिस्से में से प्रत्येक का 1/6–1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तहसीलदार अलवर को अहकाम जारी हो।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
अलवर (राज0)

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
अलवर (राज0)

न्यायिक अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner